

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक:- 116/2016 नि0फौ0  
संस्थित दिनांक 20-06-2016

रामप्रसाद पुत्र श्री भीकाराम आयु 50 साल जाति  
जाटव निवासी हाउस नं. 1268 अशोक बिहार  
कॉलोनी गुडगांव (हरियाणा) हाल सुमेर कॉलोनी  
बार्ड नं. 17 गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

-----निगरानीकर्ता

**बनाम**

शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0

-----प्रतिनिगरानीकर्ता

---

निगरानीकर्ता द्वारा श्री जी0एस0निगम अधिवक्ता।  
गैरनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए.जी.पी

---

//आ दे श//  
//आज दिनांक 29-6-16 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 399 जा.फौ. का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिमसे कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 जा.फौ. निरस्त किया गया है।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा अप0क्रं0 70/16 धारा 376(च), 506बी भा0द0वि0 में आवेदक की कार क्रमांक एच0आर0 26 बी0एच0 9406 गलत आधारों पर जप्त कर ली है। उक्त जप्त सुदा

कार दिनांक 14-5-16 से पुलिस थाना गोहद में रखी हुयी है । उक्त कार का अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है अधिक समय तक धूप में रखी रही तथा वर्षा का समय आने वाला है जिससे उक्त कार के कल पुर्जे तथा बॉडी कलर का खराब होने का अनदेशा है । जिसे कि अधीनस्थ न्यायालय ने कार सुपुर्दगी पर न दिये जाने में कानूनी भूल की है । उक्त अपराध में आरोपी बन्टी उर्फ देशराज की जमानत स्वीकार की जा चुकी है जब आरोपी की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली है तो उक्त कार को जप्त रहने का कोई औचित्य नहीं है । फिर भी उक्त अपराध में अगर कार की आवश्यकता पडती है तो निगरानीकर्ता अपने स्वयं के खर्चे पर जब भी न्यायालय आदेश करेगी उक्त समय पर कार को न्यायालय में उपस्थित रखेगा । निगरानीकर्ता उक्त कार को उक्त अपराध के विचारण तक न्यायालय के आदेश के बिना कहीं भी रहन बिक्रय अन्तरण परिवर्तन नहीं करेगा । आवेदक उक्त कार का रजिस्टर्ड स्वामी है और उसने उक्त कार निजी उपयोग हेतु ली थी । आवेदक को अपने निजी कार्य हेतु आने जाने के लिये उक्त कार की आवश्यकता है ।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य पर सही विवेचन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र का विधिवत सही ढंग से अवलोकन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार का सुपुर्दगी आदेश दिनांक 16-6-16 निरस्त किया जाकर उक्त कार को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया गया है ।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—  
क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 16.06.2016 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

06. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश का भी अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन वाहन कार क्रमांक एच0आर0 26 बी0एच0 9406 जो कि थाना गोहद के उपरोक्त अपराध में जप्त है । जप्त सुदा वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र से स्पष्ट है कि वाहन के पंजीकृत स्वामी रामप्रसाद पुत्र भीकमराम है जो कि 21 मार्च 2011 से 23 जनवरी

2016 तक बैध है । उक्त आवेदक की पहचान श्री गम्भीर सिंह निगम अधिवक्ता के द्वारा की गयी है और उसका आधार कार्ड की प्रति भी पेश की गयी है । वाहन के बीमा होने का प्रमाण भी पेश किया गया है । यद्यपि वाहन के रजिस्ट्रेशन में जो पता लिखा गया है वह गुडगांव हरियाणा का है किन्तु इस संबंध में आवेदक के द्वारा स्वयं का शपथपत्र पेश कर उसका पेत्रिक स्थान शंकरपुर जिला मुरेना का होना एवं जप्त सुदा वाहन उसके स्वामित्व का होना बताया है । उक्त वाहन की जप्ती आवेदक के पुत्र बन्टी से उक्त अपराध के संबंध में जप्त की गयी है ।

07. इस प्रकार जप्त सुदा वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र से आवेदक रामप्रसाद पुत्र भीकाराम जप्त सुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी होना स्पष्ट होता है । उक्त वाहन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किया गया है कि अनुसंधान में वाहन की आवश्यकता होगी तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुये कारण उल्लेखित करते हुये आवेदनपत्र निरस्त किया गया है । उक्त जप्त सुदा वाहन के अनुसंधान में तथा साक्ष्य एकत्रित करने में कोई भी आवश्यकता हो ऐसा थाना प्रभारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अथवा अभियोजन के द्वारा कहीं भी नहीं बताया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में वाहन से किसी प्रकार का साक्ष्य एकत्रित किया जाना हो और इस हेतु उसकी आवश्यकता हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है ।

08. इस प्रकार जबकि वाहन दिनांक 14.05.2016 से जप्त होकर थाने में खड़ा है । आवेदक जप्त सुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी है । अनुसंधान हेतु उसकी कोई आवश्यकता होनी दर्शित नहीं होती है । वाहन अधिक दिन तक खड़ा रहने से खराब व नष्ट हो सकता है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई वि0 स्टेट ऑफ गुजरात 2002 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू 5301 उल्लेखनीय है जिसमें कि वाहन सुपुर्दगीनामा पर दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं । उक्त न्यायदृष्टान्त में दिये गये निर्देशों को देखते हुये वाहन सुपुर्दगीनामा पर दिया जाना उचित होगा ।

09. उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.06.2016 को वैधानिक रूप से उचित होना न पाते हुए उसे अपास्त करते हुए । उक्त वाहन के संबंध में उसके बताये गये स्वामी आवेदक रामप्रसाद पुत्र भीकाराम की ओर से कमिटल न्यायालय की संतुष्टि योग्य 2,00,000/- दो लाख रुपए की सक्षम जमानत एवं 5,00,000/- पांच लाख रुपए का सुपुर्दगीनामा इन शर्तों के अधीन पेश हो कि वाहन के रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेगा, वाहन को अनयत्र विक्रय नहीं करेगा तथा जब भी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान वाहन की आवश्यक होगी उसे स्वयं के व्यय पर न्यायालय में पेश करेगा । तो उसे सुपुर्दगीनामे पर प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाना उचित होगा ।

10. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड